2018 का विधेयक **सं.25**

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 22 मार्च, 2018 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9) की धारा 5 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "और राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश सं. 24) के प्रारम्भ के समय पद धारण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति अपना पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या, यथास्थिति, पद धारण करता रहेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपना पद संभालने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) परन्तुक के विद्यमान खण्ड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(कक) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 1) के प्रारम्भ पर पद धारण कर रहा लोकायुक्त उस पद को उसके द्वारा उक्त पद ग्रहण करने की

तारीख से आठ वर्ष की अवधि समाप्त होने तक धारण करता रहेगा;

(ककक) लोकायुक्त, उसकी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये और अपना पद ग्रहण न कर ले;"।

3. निरसन और व्यावृतियां.- (1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5 लोकायुक्त के लिए पांच वर्ष की पदावधि का उपबंध करती है। चूंकि लोकायुक्त द्वारा अनेक गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों की जांच की जानी होती है और ऐसे मामलों का विश्लेषण करने के लिए साक्ष्यों और दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। ऐसे में, अनेक मामलों में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही लोकायुक्त की पदावधि समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व लोकायुक्त की सेवानिवृत्ति हो जाती है। लोकायुक्त के समक्ष ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले लम्बित हैं, जिनमें जांच की जानी है और जिनकी निष्कर्ष रिपोर्ट लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

लोकायुक्त की पदावधि की अपर्याप्तता पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी विचार किया गया था और वहां लोकायुक्त की अवधि को छह वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष किया गया था। लोकायुक्त संस्था के कार्यकरण की प्रभावशीलता और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यापक हितों में भी यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष की जाये। यह भी उपबंधित किया गया है कि पद धारण कर रहा लोकायुक्त उस पद को उसके द्वारा उक्त पद ग्रहण करने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि समाप्त होने तक धारण करता रहेगा और उसकी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये और अपना पद ग्रहण न कर ले। तदनुसार, अधिनियम की विद्यमान धारा 5 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 22 मार्च, 2018 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो

राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुलाब चन्द कटारिया,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

5. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें.- (1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति और राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश सं. 24) के प्रारम्भ के समय पद-धारण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति अपना पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद-धारण करेगा या, यथास्थिति, पद-धारण करता रहेगा:

परन्तु-

(क) XX XX XX XX XX

(कक) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (1978 का अध्यादेश सं. 13) के प्रारम्भ पर पद धारण करने वाला लोकायुक्त उस पद को तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसके द्वारा उक्त पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाय;

(ख) से (ग) XX XX XX XX XX

(2) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 25 of 2018

THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 22nd March, 2018.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 9 of 1973.- In sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973),-

(i) for the existing expression ", and every person holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 1987 (Ordinance No. 24 of 1987) shall continue to hold, office for a term of five years", the expression "office for a term of eight years" shall be substituted; and

(ii) for the existing clause (aa) of the proviso, the following clauses shall be substituted, namely:-

"(aa) the Lokayukta holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 1 of 2018) shall continue to hold that office till the expiry of term of eight years from the date on which he entered upon his office;

(aaa) the Lokayukta shall, notwithstanding the expiry of his term, continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office;".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 1 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973 provides for a term of five years for Lokayukta. Since many serious and important cases have to be inquired into by the Lokayukta and sufficient time is required to collect evidences and documents to analyse them. As such before reaching the conclusion in many matters the term of Lokayukta expires. Consequently, the Lokayukta retires before cases reach their logical conclusion. Several important cases are pending before the Lokayukta in which enquiries are to be made and reports as to the conclusion of the same are to be submitted by the Lokayukta.

Insufficiency of term of Lokayukta had also been considered by the State of Uttar Pradesh, and there the term of Lokayukta was increased from six years to eight years. In order to ensure effectiveness and continuity in the working of the institution of Lokayukta and also in the larger interest, it is essential that the term of office of the Lokayukta be increased from five years to eight years on the lines of the State of Uttar Pradesh. It has also been provided that Lokayukta holding office, shall continue to hold office till the expiry of term of eight years from the date on which he entered upon his office and notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office. Accordingly, the existing section 5 of the Act is proposed to be amended suitably.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 1 of 2018), on 22nd March, 2018, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 22nd March, 2018.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

गुलाब चन्द कटारिया,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS ACT, 1973

(Act No. 9 of 1973)

XX XX XX XX XX XX XX

5. Term of office and other conditions of service of Lokayukta and Up-Lokayukas.- (1) Every person appointed as the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall hold, and every person holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance,1987 (Ordinance No.24 of 1987) shall continue to hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that,-

(a) xx xx xx xx xx xx

(aa) the Lokayukta holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 13 of 1978) shall continue to hold that office till the expiry of term of five years from the date on which he entered upon his office;

(b) to (c) xx xx xx xx xx xx

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 25

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(गुलाब चन्द कटारिया, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 25 of 2018

THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(**Gulab Chand Kataria, Minister-Incharge**)